यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर,** उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर,** उत्तराखंड, के माह 12/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि पाठक सहायक लेखापरीक्षा, श्री सुनील दत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12/03/2018 से 22/03/2018 तक श्री राम स्नेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एफ० आर० खान व० लेखापरीक्षक, श्री रवि शंकर एवं श्री शरद श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, द्वारा दिनांक 30-12-2016 से 09-01-2017 तक श्री हनुमान सिंह लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2014 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ईकाई द्वारा सामाजिक कल्याण से संबन्धित योजनाओ का संचालन करना। इकाई द्वारा वृद्धा अवस्था पेंशन, किसान पेंशन, अटल आवास योजना, कन्याधन योजना, छात्रवृत्ती इत्यादि योजनाओ का संचालन किया जाता है। इसमे बागेश्वर जिले के तीन ब्लॉक शामिल है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2015-2016	-	-	123.69	113.81	2121.43	2085.28	9.89	36.15
2016-2017	-	-	112.77	103.27	2650.72	2585.80	9.50	64.92
2017-18 up to 02/18	-	-	106.77	96.07	2606.92	2555.22	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2015-2016	-	-	-	-	217.37	217.37	-	-
2016-2017	-	-	-	-	402.71	378.18	-	24.53

2017-18 up to 02/18	-	-	-	-	345.24	309.82	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत, राज्य सरकार है ।

(iv) इकाई की **श्रेणी** "अ" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1。 सचिव ,समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन 2. निदेशक समाज कल्याण विभाग 3。 जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(vi) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर** की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

1. वृद्धाअवस्था पेंशन, 2. किसान पेंशन, 3. अटल आवास योजना, 4. कन्याधन योजना, 5. छात्रवृत्ती योजना, 6. विकलांग भरण पोषण योजना 7. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 8. दशमोत्तर छात्रवृत्ती योजना 9. आई० टी० आई० स्थापना,10. वृद्धाअवस्था एवं अपंग आवास ग्रह।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग -दो (ब)</u>

प्रस्तर :-1 छात्रवृति की धनराशि **₹** 31.71/- लाख का भुगतान न किया जाना|

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर के अनुसूचित जाति दशमोत्तर कक्षाओ के छात्रव्रति से संबन्धित अभिलेखो कि जांच मे पाया कि शासनादेश संख्या -217/XVII-4/2017-10 (43)2014 दिनांक 12.5.2017 एवं शासनादेश संख्या -389/XVII-4/2017-10 (43)/2014 दिनांक 18.10.2017 के क्रम मे वितीयवर्ष 2017-18 के आय -व्ययक द्वारा समाज कल्याण विभाग से संबन्धित अनुदान संख्या -30 मतदेय पक्ष के अंतर्गत प्रबिधानित धनराशि मे से अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रव्रति (शत प्रतिशत केंद्र पोषित) योजनागत शासनादेश संख्या-183//XXVII(1)/2012 दिनांक 28.5.2015 मे दिये गए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एव 2016-17 मे अवशेष पात्र छात्र/छात्राओ हेतु धनराशि ₹ 4603.63 लाख (1151.84+1285.06+2166.73) मे से जनपद बागेश्वर के लिये ₹ 51.67/- लाख एवं इसी क्रम मे शासनादेश संख्या -389/XXVII-4/2017-10(43)2014 दिनांक 18.08.2017 के द्वारा वितीय वर्ष 2017-18 मे पात्र अवशेष छात्र/छात्राओ हेतु निम्नानुसार धनराशि ₹ 16.04/ आवंटित की गई थी| वर्ष 2017-18 के दौरान कुल धनराशि ₹ 66.71/- लाख (51.67+16.04) दशमोतर कक्षाओ मे अध्ययनरत छात्र /छात्राओ के छात्रव्रति वितरण हेतु आवंटित की गई जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा अवधि तक कुल धनराशि ₹ 66.71/- लाख मे से ₹ 35.99/- लाख का छात्रवृति वितरण किया गया था| शेष धनराशि ₹ 31.71/- लाख विभाग के पास अवरूद्ध पड़ी थी|

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया की वर्ष 2016-17 मे 2838 छात्र /छात्राये पंजीकृत हुये थे जिसमे से 1565 छात्र /छात्राये को छात्रव्रति का भुगतान कर दिया गया है शेष तथा 1273 छात्र/छात्राओ को छात्रवृति का भुगतान कर दिया जाएगा| धनराशि की मांग की गई है भुगतान की कार्यवाही गतिमान है भुगतान होने के उपरांत सूचित कर दिया जाएगा विभाग द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के पास बिना भुगतान की गई धनराशि ₹ 31.71/- लाख अवरूद्ध पड़ी थी|

अत अवरूद्ध पड़ी छात्रव्रति की धनराशि ₹ 31.71/- लाख का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
2007-08/22	-	6	-
2008-09/16	-	4	-
2012-13/89	-	3	-
2014-15/110	-	4	-
2016-17/129	-	3	01
योग		20	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विवरण पत्रावाली मे सलग्न है				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

□शून्य□

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री नन्दन सिंह घसियाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी	(विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकारसामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.